छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक –01 , 1777 रायपुर, दिनांक 14.11.2017

संक्षिप्त निविदा सूचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा पुराने अनुपयोगी प्रश्न पत्र, ओ.एम.आर. उत्तरशीट, उत्तर पुस्तिका कतरन (पेकिंग मटेरियल) एवं अन्य प्रपत्र इत्यादि को विक्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर, शंकर नगर रोड स्थित कार्यालय (स्थापना शाखा) से कोरे कागज में आवेदन देकर, तथा रूपये 100/– (सौ रू.) मात्र नगद जमा करके दिनांक **15.11.2017 से 25.11.2017** तक कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियां अंकित कर निविदाएं छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि **25.11.2017** को अपरान्ह 05.00 बजे तक जमा की जा सकेगी। मूल प्रति में भरी गई निविदाएं ही मान्य होगी। निविदा प्रपत्रों की छायाप्रतियां स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदाएं दिनांक **27.11.2017 को दोपहर 12.00** बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा में विक्रय किए जाने वाले प्रपत्रों की सूची तथा शर्तें आयोग कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा की गई है, जिन्हें कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है।

अवर सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग,
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा अयोग, रायपुर

क्रमांक/ 1776 /50/परीक्षा/2004 रायपुर, दिनांक 14 NOV 2017

निविदा की नियम एवं शर्तें

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड़, रायपुर में संलग्न सूची अनुसार प्रपत्र विक्रय हेतु दरें निविदा स्वीकृति दिनांक **15.11.2017 से 31.03.2018** तक वैध रहेगी, उक्त अवधि में सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर को निविदा प्रपत्र अथवा शर्तों में आवश्यकतानुसार किसी भी वैधानिक संशोधन करने का अधिकार होगा। प्रपत्रों की दरें निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिस पर फर्म का नाम एवं व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(2) निविदाएं सील बंद (एक) लिफाफा में नियत **दिनांक 15.11.2017 से 25.11.2017** को सायं 05.00 बजे तक सचिव छ0ग0 लोक सेवा आयोग , शंकर नगर , रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी, जो कि दिनांक **27.11.2017 को अपरान्ह 12.00 बजे** आयोग परिसर में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी। निर्धारित समयावधि/तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

(3) निविदा के साथ रूपये 5000/— (रू.पांच हजार) मात्र अमानत राशि का राष्ट्रीयकृत बैंकों का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो सचिव छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदा स्वीकृत होने की दशा में अनुबंध निष्पादित होने पर यह अमानत राशि बिना ब्याज के आयोग में जमा रहेगी, जो अनुबंध समाप्ति के पश्चात् संबंधित निविदाकार को वापस की जा सकेगी। निविदा अस्वीकृत होने की दशा में अमानत राशि तत्काल वापस की जावेगी।

(4) निविदाकार पृथक से एक बड़े लिफाफे में जिस पर निविदा क्रमांक अंकित हो, फर्म का नाम एवं पता उल्लेख करते हुए निविदा प्रस्तुत करेंगे।

(5) निविदा में विक्रय किए जाने वाले प्रपत्रों की दरें सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए तथा निविदा सामग्री निविदाकार को लोक सेवा आयोग कार्यालय से स्वयं के व्यय पर ले जाना होगा।

(6) वजन कराने तथा सामाग्री उठाने का कोई पारिश्रमिक भुगतान आयोग द्वारा देय नहीं होगा।

(7) अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट पृथक से एक लिफाफा में रखकर प्रस्तुत करें।

(8) विशिष्ट अथवा किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में आयोग द्वारा नियत तिथि पर देय भुगतान न होने या देरी के लिए आयोग की जिम्मेदारी नहीं होगी।

(9) किसी प्रकार के उत्पन्न विवाद की स्थिति में सचिव, छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(10) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सचिव, छ0ग0 लोक सेवा अयोग, रायपुर को होगा।

(11) निविदाकार को किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित किया गया हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग,
रायपुर